<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण कं-371/2013 संस्थित दिनांक-22.10.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन

विरुद्ध

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 15.03.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 454 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 02.10.2013 को दिन में करीब 04:00 बजे ग्राम हंसारी में फरियादी जगभान सिंह के अटारी वाले कमरे में कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिये प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार अथवा गृहभेदन कारित किया ।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.10.2013 को चार बजे लगभग फरियादी जगभान को उपर अटारी में किसी के होने का शक हुआ, तो अटारी में गया तो अटारी में देखा तो उसमें कोई घुसा था, जगभान ने आवाज लगाई तो पास के दयाराम लोधी, बादाम सिंह, मुलायम लोधी और बहुत से लोग आ गये। जगभान ने बाहर निकल कर आवाज लागाई कि कौन है, बाहर निकल। तो उनके पडोस का वीरन पुत्र भंवरलाल लोधी बाहर निकला जो चोरी करने की घटना घटित करने की नियत से घुसा था। फरियादी जगभान के द्वारा उक्त दिनांक को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक 337 / 2013 अंतर्गत धारा—454 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—15.03.2018 को फरियादी जगभान के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (8) द0प्र0स0 का प्रस्तुत किया गया था, अभियुक्त पर आरोपित अपराध की धारा 454 भा.द.वि. शमनीय प्रकृति की न होने से फरियादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर उक्त धारा के तहत अभियुक्त का विचारण किया गया।

04—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.10.2013 को दिन में करीब 04 बजे ग्राम हंसारी में फरियादी जगभान सिंह के अटारी वाले कमरे में कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिये प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार अथवा गृहभेदन कारित किया ?
- 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06— प्रकरण में फरियादी व अभियुक्त के मध्य हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से मात्र फरियादी जगभान (अ0सा0—01) व दयाराम (अ0सा0—02) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। फरियादी जगभान (अ0सा0—01) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि आरोपी उसका पडोसी है, 04—05 साल पहले उसका आरोपी से घर के बाहर मुंहवाद हो गया था तथा मुंहवाद होने के अलावा आरोपी ने कोई घटना कारित नहीं की और इसी घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 उसने पुलिस थाना चंदेरी में लेख कराई थी, जिस पर अपने हस्ताक्षर होना फरियादी ने स्वीकार किया है।
- 07— फरियादी जगभान (अ०सा0—01) अपने कथनों में अभियुक्त से घर के बाहर मुंहवाद होने की घटना बताता है, जबिक प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिये गये कथनों में ऐसी कोई घटना का उल्लेख नही है, बिल्क प्रदर्श पी—01 एवं पुलिस दिये गये कथन प्रदर्श पी—03 में बताई गई घटना के अनुसार अभियुक्त घटना दिनांक को दिन में चार बजे फरियादी के अटारी वाले कमरे में चोरी छुपे घुस गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श—पी—01 थाने पर फरियादी के द्वारा की गई थी। अतः फरियादी के न्यायालीन कथन एवं उसके द्वारा पुलिस को दिये गये कथनों में घटना के संबंध में गम्भीर तात्विक

विरोधाभास है तथा फरियादी के द्वारा न्यायालय में बताई गई घटना अभियोजन घटना से पूरी तरह से भिन्न एवं विपरीत होने से फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रदर्श पी-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी नही होती है।

- 08— दयाराम (अ०सा0–02) जो कि अभियाजन घटना के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि करीबन चार-पांच साल पहले शामं के समय उसे जगभान (अ०सा0-01) के घर के बाहर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, जब उसने जाकर देखा तो अभियुक्त और जगभान (अ०सा०–०1) के बीच वाद विवाद हो रहा था, जिसके बाद उसने दोनों समक्षा दिया था तथा इस घटना के अलावा उसे और कोई जानकारी नही है। अतः प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दयाराम (अ0सा0-02) का भी अपने कथनों में यह कहना है कि उसने मात्र दयाराम ओर अभियुक्त का दयाराम के घर के बाहर विवाद होते हुये देखा था तथा इस साक्षी का कही भी कहना नही है कि अभियुक्त को उसने फरियादी के अटारी वाले कमरे में घुसा मिला था।
- 09— फरियादी जगभान (अ०सा0—01) व दयाराम (अ०सा0—02) के द्वारा न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरूद्ध कथन देने से इन दोनों ही साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी कर उनका विस्तत परीक्षण किया गया, परन्त अभियोजन के द्वारा किये गये परीक्षण में इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नही किया। जगभान (अ०सा०-०1) अपने न्यायालीन कथनों में प्रदर्श पी—01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी—03 के कथन पुलिस को लेख कराने से ही इन्कार करता है तथा प्रदर्श पी-01 और 03 में क्या लिखा है, इसकी जानकारी होने से ही इन्कार करता है।
- 10- फरियादी जगभान (अ0सा0-01) ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि ध ाटना दिनांक को अभियुक्त शाम 04:00 बजे उसके घर में घुसा था तथा फरियादी का अपने कथनों में मात्र यह कहना है कि उसका अभियुक्त से केवल मुंहवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी, वहीं दयाराम (अ0सा0–02) भी अपने कथनों में इस बात का खण्डन करता है कि उसने अभियुक्त को घटना दिनांक को फरियादी के अटारी में घुसा हुआ देखा था, बल्कि इस साक्षी का भी फरियादी के कथनों के समर्थन में यह कहना है कि उसने फरियादी के घर के बाहर फरियादी और अभियुक्त का विवाद होते हुये देखा था।

- 11— जगभान (अ०सा0—01) व दयाराम (अ०सा0—02) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करते हुये अभियोजन घटना के विरूद्ध न्यायालय में कथन दिये है जो कि संभवतः राजीनामें के प्रभाव में दिये गये हो सकते हैं। प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एंव पुलिस को दिये गये कथन अपने आप में उनमें वर्णित घटना को साबित करने के लिये निश्चायक प्रमाण नही होते है, उन्हें साक्षियों के मौखिक साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है। फरियादी जगभान (अ०सा0-01) व दयाराम (अ०सा0-02) के द्वारा अभियोजन घटना का लेशमात्र भी समर्थन न करने एवं अभियोजन ६ ाटना के विरूद्ध न्यायालय में कथन देने से आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन के पास अभियुक्त के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध में अभिलेख नही पर
- 12— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.10.2013 को दिन में करीब 04:00 बजे ग्राम हंसारी में फरियादी जगभान सिंह के अटारी वाले कमरे में कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिये प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार अथवा गृहभेदन कारित किया
- 13- फलतः अभियुक्त वीरन उर्फ वीरेन्द्र पुत्र भवरलाल लोधी को भा.द.वि. की धारा 454 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा.द.वि. की धारा 454 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्त धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (5) <u>दांडिक प्रकरण क.- 371/2013</u>